



EAST CENTRAL RAILWAY
SONPUR/ DIV



ID: 2021096716

Office Of: DRM(P)/SEE
Date : 15-11-2021

Office Order No. :
769/2021

चिकित्सीय आधार पर विकोटिकृत निम्नलिखित कर्मचारियों का वैकल्पिक पद पर समाहरण हेतु नामित Standing Committee की अनुसंधान पर अमरेप्र महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त सकाधि-11/सोनपुर के टिप्पणी सं0-ECR/SEE0PERS/COF/1/2020 दिनांक-02.11.2021 के द्वारा इंजीनियरिंग विभाग के श्री महेश कुमार का चिकित्सा विकोटिकृत दिनांक-30.09.2021 को घोषित होने फलस्वरूप इनका मेडिकल कैटोरी- C-1 (Cee One) & Below है। श्री महेश कुमार का वैकल्पिक पद खलासी(कार्य)/इंजीनियरिंग विभाग में समायोजित पद पर जीपी-1800 लेवल-01 में वसेई/कार्य/गढ़हरा के अधीन तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

Sr No.	Name / HRMS ID / Employee No / Community	Sub Type / W.E.F	Existing Particular	Revised Particular	Employee Signature	Employee Photo	Remarks
			Department / Designation / Zone / Division/Station/Office/Section BU / Pay Level/Basic Pay	Department / Designation / Zone / Division/Station/Office/Section BU / Pay Level/Basic Pay			
1	MAHESH KUMAR / XXPOKY / 27223005056 / GEN	Medical decategorization / 15-11-2021	CIVIL ENGINEERING / TECHNICIAN GRADE-III (BLACK SMITH) ECR / SEED / GHX / SSE/PWAY/GHZ / 3002559 2 / 23800	CIVIL ENGINEERING / ASSISTANT WORKS (WORKS HELPER) ECR / SEED / GHX / SSE/WORKS/GHZ 3002561 1 / 23800	NA	NA	Medical Decategorized Posting Under SSE/Works/GHZ

* पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात सृजित विशेष अधिसंख्य पद के समाप्त होने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित किये गये नये पद एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाता है तो सारी जिम्मेवारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।
* पदस्थापना आदेश जारी होने की तिथि से सृजित विशेष अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जायेगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जाएगा और अनुपस्थित अवधि को उनके अवकाश खाते में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियमन किया जाएगा।
* साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि समाहरण/पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद उसी तिथि को संबंधित स्थापना लिपिक का जिम्मेवारी बनता है कि उपर्युक्त पूर्व पर्यवेक्षक जिसके अधीन सृजित विशेष अधिसंख्य पद पर कार्य कर रहे हैं, को स्पष्ट निर्देश दिया जाय कि मैसेज मिलते ही उसी समय संबंधित विकोटिकृत कर्मचारी को सृजित विशेष अधिसंख्य पद के कार्यमुक्त करते हुए नये समाहरित/पदस्थापित पद पर योगदान दिये जाने हेतु विरमित किया जाए अन्यथा उपर्युक्त नोट (01) का अनुपालन नहीं किया जाना माना जाएगा। इसका अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उपरोक्त पर वमई(समन्वय)/सोन0 का आदेश प्राप्त है।

APO-II
For DRM(P)/SEE

File Reference No. : का/256/5/इंजी0/जी-259/सोन/16

Copy forwarded for information and necessary action to:

01. वमई(समन्वय)/सोनपुर। 02. वमविप्र/सोनपुर, वमपचाप्र/सोनपुर। 03. समई(पूर्व)/वरौनी।
04. वसेई/कार्य/गढ़हरा, वसेई/पथ/गढ़हरा। 05. संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय आदेश प्रति।
06. एमपीपी/सेल/सोनपुर। 07. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु/सोनपुर।

Digitally Signed.
Name: RAVI KUMAR PANDIT
Date: 15-Nov-2021 16:47:37
Location: SEED/ECR

APO-II
For DRM(P)/SEE